



## Central Pollution Control Board

(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

Regional Directorate Chennai, 77-A, Padi, Ambattur Industrial Estate, Chennai – 600058

Head Office: “Parivesh Bhawan”, East Arjun Nagar, Shahdara, Delhi – 110032

F. No. AD-99/1/2021-RD-RD-CHENNAI-RD (Chennai)/ 253

Date: 15.12.2022

### ORDER


On the basis of selection and consequent upon the acceptance of offer of engagement and acceptance of terms and conditions of the contract, the following Junior Research Fellow is appointed initially upto 31.03.2023 in Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Chennai: -

S. N.	Name of the Candidate	Name of the Post	Place of Posting	Date of Joining, w.e.f.,	Period up-to
1.	Ms. Haritha R.	Junior Research Fellow	Regional Directorate, Chennai	14.12.2022 (F.N.)	31.03.2023

2. She will be on probation initially for a period of six months from the date of her joining.
3. This appointment is purely on contractual basis and all other terms and conditions will remain the same as contained in the offer of engagement letter and contract.
4. She will be paid monthly stipend of Rs. 31,000/- (Thirty-one thousand) with effect from Date of Joining.
5. She will be entitled for HIRA as per rules. For this purpose, the stipend admissible to them will be treated as the basic pay.
6. She will not be entitled to DA, Bonus & LTC.
7. She will not be eligible to be a member of the Contributory Provident Fund/NPS.
8. The appointment is provisional and will not entitle him/her to claim absorption in the Central Pollution Control Board in any post/cadre.
9. The appointment is provisional, temporary and all other terms and conditions remain the same as contained in the offer of appointment letter dated 30.11.2022.
10. She is entitled to avail 08 days casual leave in a calendar year and also entitled for Maternity Leave as per rules.
11. She will be entitled to TA/DA claims as per Central Pollution Control Board Rules.
12. Private work of any kind whatsoever is prohibited during the period of fellowship in the Central Pollution Control Board.
13. This fellowship shall automatically stand cancelled w.e.f. 31.03.2023 (A.N) without any further notice. However, the Competent Authority, Central Pollution Control Board may extend the period as per requirement and based on the performance.

Contd.... 2-


14. The fellowship can be terminated with one month notice in writing from either side, without assigning any reasons thereof. Further, in case of short notice period, a sum of equivalent to salary shall be paid by the concerned JRF or Central Pollution Control Board who gives such short notice.
15. The decision of the Member Secretary, Central Pollution Control Board will be final in all matters relating to their appointment.
16. This issues with the approval of the Competent Authority, Central Pollution Control Board.



(H.D. Varalaxmi)  
Regional Director

**Distribution: -**

1. Smt. Haritha R., Junior Research Fellow, CPCB RD Chennai : For information please.
2. AO (R), CPCB HO, Delhi : For kind information please.
3. AO (P), CPCB HO, Delhi : To register above JRF who joined in RD Chennai for further action and issue Identity Card with validity Period up to 31.03.2023
4. The Divisional Head, Finance & Accounts Division, CPCB HO, Delhi : For kind information and further necessary action
5. The Divisional Head, I.T. Division, CPCB HO, Delhi : For uploading the order on website of CPCB
6. Administrative Officer, MS Section : For information of Member Secretary please.
7. Office Order File
8. Personal File of Smt. Haritha R.



(H.D. Varalaxmi)  
Regional Director



## केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय निदेशालय चेन्नई, 77-ए, पाडी, अंबतूर औद्योगिक एस्टेट, चेन्नई - 600058

प्रधान कार्यालय: "परिवेश भवन", पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032

फा.सं. एडी-99/1/2021-आरडी-आरडी-चेन्नई-आरडी (चेन्नई)/ 253

दिनांक: 15.12.2022

### गण

चयन के आधार पर और अनुबंध के नियमों और शर्तों की स्वीकृति और अनुबंध के प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित जूनियर रिसर्च फेलो को शुरू में नियुक्त किया जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नई में 31.03.2023 तक:-

एस.एन.	उम्मीदवार का नाम	पद का नाम	पोस्टिंग की जगह	शामिल होने की तिथि, प्रभावी,	तक की अवधि
1.	कुमारी हरिता आर.	कनिष्ठ अनुसंधान साथी	क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नई	14.12.2022 (पूर्वाहन)	31.03.2023

2. शुरुआत में वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी।
3. यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर है और अन्य सभी नियम और शर्तें वही रहेंगी जो कार्य पत्र और अनुबंध के प्रस्ताव में निहित हैं।
4. उन्हें मासिक 31,000/- (इकतीस हजार) रुपये वजीफा दिया जाएगा शामिल होने की तिथि से प्रभावी।
5. वह नियमानुसार एच.आर.ए की हकदार होगी। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें स्वीकार्य वजीफा मूल वेतन के रूप में माना जाएगा।
6. वह डीए, बोनस और एल.टी.सी की हकदार नहीं होगी।
7. वह अंशदायी भविष्य निधि/एन.पी.एस. की सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगी।
8. नियुक्ति अनंतिम है और वह किसी भी पद/संवर्ग में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अवशेषण का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
9. नियुक्ति अनंतिम, अस्थायी है और अन्य सभी नियम और शर्तें वही रहेंगी जो नियुक्ति पत्र दिनांक 30.11.2022 में निहित हैं।
10. वह एक कलैण्डर वर्ष में 08 दिन के आकस्मिक अवकाश की हकदार है तथा नियमानुसार मातृत्व अवकाश की भी हकदार है।
11. वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार टी.ए/डी.ए दावों की हकदार होंगी।

जारी .... 2-



12. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फेलोशिप की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का निजी कार्य वर्जित है।
13. यह फेलोशिप 31.03.2023 (अपराहन) से बिना किसी और नोटिस के स्वतः रद्द हो जाएगी। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवश्यकता के अनुसार और प्रदर्शन के आधार पर अवधि बढ़ा सकता है।
14. फेलोशिप को बिना कोई कारण बताए एक महीने के लिखित नोटिस के साथ समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, अल्प सूचना अवधि के मामले में, वेतन के समतुल्य राशि का भुगतान संबंधित जेआरएफ या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो इस तरह की अल्प सूचना देता है।
15. उनकी नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों में सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
16. इसे सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*एच डी वरलक्ष्मी*

(एचडी वरलक्ष्मी)  
क्षेत्रीय निदेशक

वितरण: -

1. कुमारी हरिता आर., कनिष्ठ अनुसंधान साथी, सी.पी.सी.बी., क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नई : कृपया जानकारी के लिए।
2. प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती), सी.पी.सी.बी. मुख्यालय, दिल्ली : कृपया जानकारी के लिए।
3. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), सी.पी.सी.बी. मुख्यालय, दिल्ली : क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नई में शामिल हुए उपरियुक्त जेआरएफ के पंजीकरण करने के लिए तथा आगे की कार्रवाई के लिए और 31.03.2023 तक की वैधता अवधि के साथ पहचान पत्र जारी करने के हेतु
4. मंडल प्रमुख, वित्त और लेखा प्रभाग, सी.पी.सी.बी. मुख्यालय, दिल्ली : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. मंडल प्रमुख, सूचान प्रौद्योगिकी प्रभाग, सी.पी.सी.बी. मुख्यालय, दिल्ली : आदेश को सी.पी.सी.बी. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य सचिव अनुभाग : कृपया सदस्य सचिव की जानकारी के लिए।
7. कार्यालय आदेश की फाइल
8. कुमारी हरिता आर. की व्यक्तिगत फाइल

*एच डी वरलक्ष्मी*

(एचडी वरलक्ष्मी)  
क्षेत्रीय निदेशक